

# HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

(Fifteenth Session)

Postponed Questions For Oral Answer

Thursday, 11th August, 2022/20th Shravan, 1944 (Saka)

----

[Chief Minister - Jal Shakti Minister - Urban Development Minister - Social Justice & Empowerment Minister - Technical Education Minister - Rural Development & Panchayati Raj Minister - Industries Minister - Education Minister - Health and Family Welfare Minister - MPP & Power Minister - Forest Minister and Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Minister ].

Total No. of Questions - 4

----

Consumption of Domestic Electricity

\*4611 Sh. Rakesh Singha (Theog):

Will the **MPP & Power Minister** be pleased to state :-

(a) what is the average consumption of domestic electricity per month in the State; measurement to be provided in units during the last year from 01-01-2021 to 31-12-2021 in District Shimla or what ever billing period falls within this period are recorded consumers in Residential Houses where the consumption comes to 60 or less than 60 units of electricity; provide a list of such consumers;

(b) what will be the consumption of units of electricity per month, if daily electricity is used for an average of three hours with a use of three bulbs of 60 watts; and

(c) what is the billing period of Theog and Kumarsain Division of HPSEBL in the year, 2021; how many employees are outsourced for this work; details be given?

----

## रोस्टर की निगरानी

\*4841 श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा):

क्या **मुख्य मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) यह सत्य है कि सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के आरक्षण के लिए रोस्टर लगाया जाता है तथा उसकी निगरानी रखने हेतु एक उप-सचिव पद के पदाधिकारी को बतौर संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाता है; यदि हां, तो क्या यह संपर्क अधिकारी प्रदेश सरकार ने भी नियुक्त किया है; और

(ख) गत 3 वर्षों में दिनांक 01.02.2022 तक रोस्टर की निगरानी करने के लिए कितनी मीटिंग की गई; ब्यौरा विभागवार रोस्टर की अद्यतन स्थिति तथा सक्षम अधिकारी के नाम सहित दें?

----

## कनिष्ठ सहायकों की पदोन्नति

\*4912 श्री अनिरुद्ध सिंह (कसुम्पटी) :

डॉ० (कर्नल) धनी राम शांडिल (सोलन) :

क्या **मुख्य मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) सरकार द्वारा दिनांक 11.11.2021 की अधिसूचना के अनुसार 7 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके कनिष्ठ सहायकों को किन-किन विभागों में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है;

(ख) जिन विभागों में अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया है, उनका कारणों सहित ब्यौरा दें; और

(ग) सरकार हिमाचल प्रदेश सचिवालय सहित अन्य विभागों में कब तक इन्हें पदोन्नत करने का विचार रखती है; ब्यौरा दें?

----

## पदोन्नति

\*5042 श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा):

क्या **मुख्य मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के ऐसे कौन-कौन से विभाग हैं जिनमें कर्मचारियों को श्रेणी-III से सीधे श्रेणी-I में पदोन्नत करने का प्रावधान है; ब्यौरा दें?

----

यशपाल शर्मा,  
सचिव।